**भारत सरकार**

**रेल मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं. 1219**

**16.08.2013 को दिया जाने वाला उत्‍तर**

**पुराने पुलों की कबाड़ के रूप में बिक्री**

**1219. श्री एस. थंगावेलु:**

 क्‍या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

1. क्‍या यह सच है कि रेलवे ने देश के विभिन्‍न हिस्सों में पड़े पुराने पुलों को कबाड़ के रूप में बिक्री करने का निर्णय लिया है;
2. यदि हां, तो इसके क्‍या कारण हैं;
3. क्‍या यह भी सच है कि रेलवे को कुछ पुलों के संबंध में अपने निर्णय को जनता के विरोध के कारण आस्‍थगित करना पड़ा था; और
4. यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा है?

**उत्‍तर**

**रेल मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री कोटला जय सूर्य प्रकाश रेड्डी)**

(क) एवं (ख): जी नहीं। बहरहाल, पुलों के निकाले गए अनुपयोगी भाग अर्थात स्‍टील गर्डर आदि निकाली गई सामग्री का मूल्‍य प्राप्‍त करने के लिए स्‍क्रैप के रूप में बेचे जाते हैं।

(ग) एवं (घ): इस समय, दक्षिण मध्‍य रेलवे पर गोदावरी नदी के ऊपर राजमुंद्री में पुराने गोदावरी पुल (हैवलक ब्रिज) के निकाले गए स्‍टील गर्डर के निपटान का प्रस्‍ताव है, जिसे वर्ष 1997 में नए पुल को यातायात के लिए चालू करने के बाद से बंद कर दिया गया है। बहरहाल, इस संबंध में कुछ अभ्‍यावेदन प्राप्‍त होने के बाद, पुराने गोदावरी पुल, जिसका इस्‍तेमाल नहीं किया जा रहा है, से निकाले गए स्‍टील गर्डरों के निपटान के प्रस्‍ताव को आस्‍थगित रखा गया है।

\*\*\*\*\*\*\*